पंचायत निगरानी संख्या : 335/2024
उनवान : रूपाराम बनाम हरिसिंह व अन्य
U/S RPRA 1994

27/8/24	वकुलाय उप. आज पीठासीन अधिकारी . दौरा ... में पधार है। पत्रावली दिनांक ...25/9/24 को पेश हो।	
25/9/24	वकुलाय उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने / पदस्थापन नहीं होने से पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक ...24/10/24 को पेश हों। रीडर	
24/10/24	वकुलाय उप. आज पीठासीन अधिकारी जन सुनवाई / जल रिव्यू बैठक में पधार है। पत्रावली दिनांक 06/11/24 को पेश हो।	
06/11/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। अप्रार्थीगण को पुनः नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते प्रार्थी की ओर से वकालतनामा एवं अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 04/12/24 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)	क्र. 1439 दि. 06/11/24 को नोटिस जारी।
04/12/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी असालतन / वकालतन अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसपर पत्रावली दिनांक 03/07/2024 को अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत ने प्रार्थी की ओर से अण्डरटेकिंग ली। दरम्यान सुनवाई प्रार्थी पक्ष की ओर से UT अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकालतनामा आदिनांक प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली न्यायालय हाजा को स्थानान्तरित होने के बाद से प्रार्थी भी अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी का यह दायित्व है कि न्यायालय में प्रस्तुत एवं विचाराधीन प्रार्थना-पत्र की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन उपस्थित रहें। अतः विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिका प्रार्थी पक्ष की अनुपस्थिति में प्रार्थी के पुनः सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	

CamScanner